न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

मनीष जैन

बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 168/2025

अन्तर्गत धारा : – तरमीम दुरूस्ती

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.25	प्रार्थी मनीष जैन, जैनम कोच क्राफ्ट्स ग्राम मोगड़ा कल्ला तहसील लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मोगड़ा कल्ला के खसरा नंबर खसरा संख्या 19 की ऑनलाईन तरमीम पटवार हल्का कांकाणी के लठ्ठा नक्शा में भी खसरा नंबर 19 ही दर्ज थी परंतु पटवार हल्का गुड़ा विश्नोईयान के ग्राम मोगड़ा कल्ला की राजस्व नक्शे के रिकार्ड में खसरा नंबर 19/3 कर दिया गया है, जिसे दुरस्त करने प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की जांच हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी कर प्रकरण में जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के प़्त्रांक/भू.अ./2025/2359 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मोगड़ा के खसरा संख्या 19 जो कि वर्तमान जमाबंदी अनुसार जैनम कोच क्राफ्ट्स जरिये मनीष जैन पुत्र कैलाशचन्द्र जैन के नाम दर्ज है। ऑनलाईन भू–नक्शा में खसरा संख्या 19 वर्तमान में दर्ज नहीं है। ग्राम मोगड़ा कला के नामान्तरकरण सख्या 2234 बेचान के जरिये खातेदार का नाम दर्ज हुआ है। बेचाननामे में दर्ज पड़ौस एवं मौके अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है। जहा ऑनलाईन भू–नक्शा में खसरा 19/3 अंकित है जबकि वर्तमान जमाबंदी में दर्ज नहीं है ना ही लठ्ठा नक्शा ट्रेस में खसरा संख्या 19/3 की तरमीम लाल स्याही से दर्ज है। डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत लिपिकिय त्रुटिवश खसरा संख्या 19 के स्थल पर 19/3 अंकित होने पर राजस्व रैकर्ड बैचाननामें एवं मौकानुसार खसरा संख्या 19 को शुद्ध दर्ज किया जाना उचित बताया एवं उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है। पत्रालवी का अवलोकन किया गया। पत्रावली में मौजूद राजस्व रेकर्ड व तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत लिपिकिय त्रुटिवश खसरा संख्या 19 के स्थल पर 19/3 अंकित होने पर तरमीम शुद्धि करना उचित बताया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम मोगड़ा के खसरा संख्या 19/3 के स्थान पर 19 दर्ज किये जाने की तरमीम को राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	